दिनांक- 17.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा लॉरैन्स विश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 तमंचा 315 बोर, 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल व 01 मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 06.07.2026 को वादी श्री अमित गुप्ता पुत्र स्व0 श्री रमेश गुप्ता निवासी अहमदबाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त जिशान अख्तर (लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य) द्वारा वादी व वादी के भाई सुमित गुप्ता के मोबाइल नम्बरो पर वाट्सएप मैसेज के माध्यम से वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने व रंगदारी मांगने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर तत्काल मु0अ0स0 333/26 धारा 351(3) बीएनएस के पंजीकृत किय गया तथा जाँच शुरू की गयी व उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु तीन टीम गठित की गयी ।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 16.07.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी के मुकदमें में **वांछित अभियुक्त जावेद मलिक उर्फ मोनू पुत्र मौहम्मद निसार निवासी ग्राम खटोली थाना नागल जनपद सहारनपुर** को सहारनपुर-दिल्ली रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे/निशानदेही पर 01 अदद तमंचा 315 बोर, 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर, घटना मे प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिलें व 01 मोबाइल फोन** बरामद । बामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 308(4)/352/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । अग्रिम विवेचना जारी है आगे तथ्यो के आधार पर जो भी अन्य लोग उपरोक्त प्रकरण मे सलिप्त पाये जायेगे उनके विरूध्द भी कठोर कार्यवाही की जायेगी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त मोनू उर्फ जावेद ने पूछताछ पर बताया कि मै बडा गैंगस्टर बनकर बहुत पैसा कमाना चाहता था, इसके लिए मैने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू किया तथा मैने एक व्यक्ति के फेसबुक पर शहजाद भट्टी की कई रील देखीं जिस पर दबंगई की वीडियो आती रहती थी मुझे लगा कि इस पेज के सहारे मेरा काम बन सकता है और मैने अपना मोबाइल नंम्बर उस व्यक्ति के फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया जिसके बाद मेरे पास जिशान अख्तर नाम के व्यक्ति का फोन आया और मेरी जिशान अख्तर नाम के व्यक्ति से बातचीत शुरू हो गय़ी तथा मैने उसको बताया कि हमारे शहर मे कई बहुत अमीर लोग है जिनके परिवार की पूरी जानकारी मै तुमको दे सकता हूँ यदि तुम उनको अच्छे से डरा धमका सको तो मोटी रंगदारी की रकम मिल सकती है तथा मैने अमित गुप्ता पुत्र स्व0 श्री रमेश गुप्ता निवासी अहमदबाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व उसके परिवार की जानकारी, मोबइल नंम्बर सहित जिशान अख्तर को दे दी तथा अमित गुप्ता के दोनो घरो के फोटो भी अपने मोबाइल से खीचकर जिशान को भेज दिये थे तथा मैने जिसान से कहा था कि अमित गुप्ता से ज्यादा से ज्यादा रूपये की रंगदारी मांगना वो काफी मोटी रकम आसानी से दे सकता है और हमारे यहा गैगस्टर लोरेंस विश्नोई के नाम से लोग बहुत भय मानते है तुम चाहो तो उसके नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हो जब बार बार धमकाने के

बाद भी अमित गुप्ता ने रंगदारी की रकम नही दी तो मैने स्वयं भी अमित गुप्ता व उसके भाई को धमकाकर रंगदारी देने के लिए कहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

जावेद मलिक उर्फ मोनू पुत्र मौहम्म्द निसार निवासी ग्राम खटोली थाना नागल जनपद सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

01 अदद तमंचा 315 बोर

05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज ,

01 अदद मोटरसाईकिल हीरो स्पैलेन्डर प्लस घटना मे प्रयुक्त

01 अदद मोटरसाईकिल टीवीएस स्टार सिटी घटना मे प्रयुक्त

01 अदद मोबाइल फोन वीवो कम्पनी (अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के खीचे गये घर के फोटो आदि महत्तवपूर्ण जानकारी मौजूद है)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री संजय कुमार शर्मा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 565 विजय कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर*
4. *है0का0 40 सन्नी कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर*
5. *का0 2526 लवकेश थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर*

दिनांक:17.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने व धार्मिक टिप्पणी के मुकदमें मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अभियुक्त की लाइसेन्सी पिस्टल बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 16.07.2026 को वादी श्री ओम प्रकाश उर्फ नीटू पाल पुत्र श्री सुरेशपाल निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी को पिस्टल दिखाकर गांव मे रहने के नाम पर एंव मुस्लिमो के मोहल्ले मे दुकान चलाने के नाम पर डरा धमकाकर 10,000/- रूपये प्रति महीना की रंगदारी माँगना, आना कानी की स्थिति मे गोली मारने टाँगे तोडकर अपंग करने देने व मुस्लिम महिला की तरफ से दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा लिखवाकर जेल मे सडवाने की धमकी देकर हिन्दू धर्म के प्रति अपमान जनक टिप्पणी कर दो समुदाय के बीच बैमनस्था फैलाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 308(6),126(2),351(3),352,353(1), 61(2),बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 16.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान **वांछित अभियुक्त मंजूर पुत्र लतीफ निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को सीकरी कला से आगे चकरोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाइसेन्सी पिस्टल 7.65mm(CE.32) RP-169302 GSF-IN-2012 बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

मंजूर पुत्र लतीफ निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

01 लाइसेन्सी पिस्टल 7.65mm(CE.32) RP-169302 GSF-IN-2012 घटना मे प्रयुक्त

आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 275/14 धारा 147/148/452/307/504/506/323/325 भादवि थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 91/18 धारा 147/148/323/324/504/506 भादवि थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 120/24 धारा 147/149/307/336/323/504/506/324 भादवि थाना चिलकाना जिला स0पुर
4. मु0अ0सं0 353/25 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस व 3(1)द ,3(1)ध एससी एसटी एक्ट थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः

1- थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3- का0 2267 विष्णु कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4- का0 2549 जिम्मी सागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5- का0 640 दुष्यन्त कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 17.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह नि0 ग्राम रायसीन जिला करनाल हरियाणा द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 118/26 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर पीड़िता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ़ श्री सतेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.04.2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पोक्सो एक्ट के मुकदमें में ***वांछित अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह नि0 ग्राम रायसीन जिला करनाल हरियाणा*** *को बिहारीगढ से मोहण्ड के बीच पुराने देहरादून रोड से गिरफ्तार करते हुए पीडिता को सकुशल बरामद किया गया। पीड़िता के बयानो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलदीप सिंह पुत्र रणजीत सिंह नि0 ग्राम रायसीन जिला करनाल हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*
3. *है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*
4. *है0का0 472 अंकित थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 17.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस व जिला आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से गैंस रिफिलिंग कर काला बाजारी करने वाला अभियुक्त, कब्जे/निशानदेही से 71 गैंस सिलेण्डर (छोटे व बडे) व अन्य सामान बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व कालाबाजारी की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस व जिला अपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान गैंस रिफिलिंग कर कालाबाजारी करने वाला **01 अभियुक्त जैद पुत्र मन्सूर निवासी मो0 बाजदरान थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को मो0 बाजदरान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर कुल 71 गैस सिलेण्डर (अलग-अलग कम्पनी छोटे व बड़े) बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर वादिया श्रीमती मोहिनी मिश्रा पूर्ति निरीक्षक नगर निगम सहारनपुर की दाखिल फर्द के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-332/26 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के पंजीकृत किया गया। मौके पर बरामद गैस रिफलिंग से सम्बन्धित सभी सामान व गैस सिलिण्डरों को कब्जे में लेकर नजदीकी गैस एजेंसी मै० गणपति गैस एजेंसी, पटेल नगर, अम्बाला रोड सहारनपुर के मैनेजर श्री शहजाद अहमद को गैस एजेंसी प्रोपराइटर श्री हरी शंकर सैनी की उपस्थिति मे सुपुर्द किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

जैद पुत्र मन्सूर निवासी मोहल्ला बाजदरान थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 11 खाली सिलेंडर एच0पी0 (14.0 कि0ग्रा0)
- 04 सिलेण्डर खाली भारत (14.0 कि0ग्रा0) व 01 भरा हुआ सिलेंडर (14.0 कि0ग्रा0),
- 07 सिलेंडर खाली इण्डेन (14.0 कि0ग्रा0) व 01 भरा (14.0 कि0ग्रा0),
- 33 व्यवसायिक सिलेंडर एच0पी0 कम्पनी (प्रत्येक 19.0 कि0ग्रा0- जिसमे 03 भरे हुए व 30 खाली)
- 09 सिलेंडर 05 क्रि0ग्रा0 वाले
- 05 सिलेंडर खाली 03 कि0ग्रा0 वाले,
- 02 इलेक्ट्रिक कांटे
- 05 रिफिलिंग मशीन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. श्रीमति मोहनी मिश्रा पूर्ति निरीक्षक नगर क्षेत्र सहारनपुर
4. का0 2043 सद्दाम हुसैन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. श्री नरेन्द्र पाल सिह पूर्ति निरीक्षक सदर क्षेत्र सहारनपुर
6. श्री अरूण कुमार आपूर्ति लिपिक सदर सहारनपुर

दिनांक- 17.07.2026

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गयाव गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.07.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त सलमान पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी गली न0 01 आजाद कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल निवासी – ग्राम हलालपुर बडी मस्जिद के पास थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित 13189/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में ग्राम हलालपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी गली न0 01 आजाद कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल निवासी – ग्राम हलालपुर बडी मस्जिद के पास थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 908 जितेन्द्र कुमार थाना मण्डी सहारनपुर
3. रि0का0 1192 मनीष कुमार थाना मण्डी सहारनपुर ।

दिनांक- 17.07.2026

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.03.2006 को वादी उ0नि0 आर0 सी0 शर्मा थाना नकुड की सूचना पर अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र राजेन्द्र निवासी वास्तम थाना देवबंद जनपद सहारनपुर 2. अवनीश पुत्र बिलेन्दर निवासी पीरड़ थाना नागल जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-75/2006 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-85/2007 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते **माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17.07.2026 को अभियुक्तगण 1.मुकेश पुत्र राजेन्द्र निवासी वास्तम थाना देवबंद सहारनपुर 2. अवनीश पुत्र बिलेन्दर निवासी पीरड़ थाना नागल सहारनपुर को थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0स0-75/2006 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज चौहान।
विवेचक-निरी0 चन्दकुमार मिश्रा।
पैरोकार- का0 देवेन्द्र थाना नकुड सहारनपुर।

दिनांक- 17.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.07.2007 को वादी उ0नि0 बुलाकी राम वर्मा थाना सदर बाजार की सूचना पर अभियुक्तगण 1.श्रीमति मधु जैन पत्नी आदेश जैन 2. राजकुमार बाल्मिकी पुत्र आत्माराम नि0गण लालता प्रसाद की मण्डी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0सं0-418/2007 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया । जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-18/2008 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते* ***माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17.07.2026 को अभियुक्तगण 1.श्रीमति मधु जैन पत्नी आदेश जैन 2. राजकुमार बाल्मिकी पुत्र आत्माराम निवासीगण लालता प्रसाद की मण्डी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0-418/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।***

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज चौहान ।
विवेचक-निरी0 महफूज अली ।
पैरोकार- है0का0 मोहित थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

दिनांक- 17.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा अवैध चरस के मुकदमें में अभियुक्त को 03 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 13.02.2023 को वादी उ0नि0 सोमपाल सिंह थाना मिर्जापुर की सूचना पर अभियुक्त शहजाद उर्फ कालिया पुत्र सलीम नि0 रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर के कब्जे से 350 ग्राम अवैध चरस बरामद होने पर मु0अ0सं0-27/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-881/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते* ***माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-12 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17.07.2026 को अभियुक्त शहजाद उर्फ कालिया पुत्र सलीम निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत मु0अ0स0-27/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष 05 माह का कठोर कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्रीमति रितू गर्ग।
विवेचक- उ0नि0 संदीप सिंह ।
पैरोकार- है0का0 669 अजय राणा थाना मिर्जापुर सहारनपुर।